कार्यालय नगर परिषद्, साहिबगंज

–: आवश्यक सूचना :–

पत्रांक 2842/ दिनांक 06/12/18

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि :–

1. दिनांक – 31 दिसम्बर, 2018 तक ट्रेड में छूट दिया गया है। इसमें किसी प्रकार का फाईन नहीं है। जिन व्यवसायियों ने अभी तक ट्रेड लाईसेन्स नहीं बनवाया है, वह 31 दिसम्बर, 2018 तक बिना विलम्ब शुल्क के ट्रेड लाईसेन्स बनवालें।

2. सभी टोटो (ई–रिक्शा) चालकों को सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए नगर क्षेत्र के अंदर टोटो परिचालन हेतु टोकन नगर परिषद् साहिबगंज के संबंधित लेसी के पास से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर लें। अन्यथा बिना टोकन के पकड़े जाने पर आपका टोटो (ई–रिक्शा) जब्त कर लिया जायेगा तथा जुर्माना भी लगाया जायेगा। साथ ही साथ कॉलेज रोड में **No Entry** सहित **One Way** का नियम का भी पालन करेंगे।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक – I एवं III के तहत बेघरों को घर दिया जायेगा। वैसा नागरिक जो भाड़े पर या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें नियम व शर्तों के अनुसार लाभुक अपने अंशदान पर घर लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। जिनका पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पक्का मकान न हो। आवेदन ऑनलाईन कर हार्डकॉपी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए **PMAY** शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

6/12/18

कार्यपालक पदाधिकारी,
साहिबगंज नगर परिषद्

6/12/18

ज्ञापांक 2842 / दिनांक 06/12/18

प्रतिलिपि :– प्रचारक विजय चौरसिया को आदेश दिया जाता है कि अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र के उक्त सूचना का प्रचार प्रसार लगातार तीन दिनों तक करेंगे।

प्रतिलिपि :– नाजिर / लेखापाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/12/18

कार्यपालक पदाधिकारी,
साहिबगंज नगर परिषद्

6/12/18

Vijay Chaurasia 06/11/2018

D/: S.hari Office order *प्लास्टिक की नहीं कोई स्थान!! मिटा दो इसका नामो निशान !!*